न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी- चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी -गितेश श्री मालवीय-RAS

प्रकरण संख्या- डी 88 सन-2018

पंजीयन दिनांक - 21/06/2018.

- उनवान -

1. चांदमल पिता रामचंद्र जाति पारीक निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. नानी पत्नी रामचंद्र जाति पारीक निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
3. नीरायण पिता वंशीलाल जाति पारीक निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
4. रतन पिता वंशीलाल जाति पारीक निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
5. बबलू पिता वंशीलाल जाति पारीक निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
6. दिनेश पिता वंशीलाल जाति पारीक निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
7. रेखा पुत्री वंशीलाल जाति पारीक निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
8. मोहनी पुत्री वंशीलाल जाति पारीक निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
9. अर्चना पुत्री वंशीलाल जाति पारीक निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
10. गीताबाई वेवा वंशीलाल जाति पारीक निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

---- अपीलान्ट

बनाम

1. शारदा देवी पत्नी गणेश लाल जाति पारीक निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. भूमिधारी तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

--- रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी राशमी बमुकदमा नंबर 99/2013 निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक-01-07-2015

उपस्थिति वक्त बहस--- अधिवक्ता-अपीलांटगण- अनुपस्थित
सुरेश बाफना अधिवक्ता-रेस्पोडेन्ट संख्या-1
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या -2

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

निर्णय

दिनांक -19/05 / 2023

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है की अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पॉडेंट संख्या-1 वादिया शारदा देवी द्वारा बटवाड़ा का वाद पत्र पेश किया जो दिनांक 10-07- 2013 को दर्ज हुआ जिसमें ग्राम जाडाना की आराजी नंबर 12 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा का बंटवारा चाहा गया। पत्रावली दायरी से दिनांक 1-07-2015 तक अपिलान्ट प्रतिवादीगण की तामिल हेतु नियत रही लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील फ़रीकेंन उपस्थिति का आदेश देते हुए निर्णय कर बटवारा किए जाने की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। इस निर्णय से व्यथित होकर अपिलान्टगण द्वारा एक अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद कानून अधिनियम इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01-07-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर सुनी गई।

3. पत्रावली में दिनांक 10-02-2023 को उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने से पुनः पत्रावली बहस हेतु नियत की गई परंतु बावजूद सूचना अधिवक्ता अपिलान्ट अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 उपस्थित रहे। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित रहे।

4. पत्रावली में मौजूद पूर्व बहस के दौरान नॉटेड प्रमुख बिंदुओं के अनुसार अधिवक्ता अपिलान्ट चांदमल एवं सुरेश चंद्र शर्मा ने अपील के प्रमुख बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि प्रकरण जवाबदावा एवं तलबी में था अपीलांट प्रतिवादीगण अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण लोक अदालत में प्राथमिक डिक्री बिना उपस्थिति.बिना सूचना एवं बिना सहमति के कर दिया जो नियमों के विपरीत होकर प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध भी है अतः पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली रिमांड की जाए।

5. प्रत्युत्तर में अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपील मियाद बाहर है तामिल लोक अदालत अपीलांट प्रतिवादीगण को हुई है। नियम अनुसार निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है इसलिए प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया।

7. प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का अवलोकन किया और पाया गया कि विलंब के ठोस आधार है। अतः विलंब को कंडोन किया जाता है।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि पत्रावली दिनांक 19-06-2015 तक तलबी एवं जवाबदावा हेतु नियत थी परंतु दिनॉक 01-07-2015 को लोक अदालत में पत्रावली में निर्णय और प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गयी। इस दौरान कोई सहमति पत्र राजीनामा इत्यादि नही लिया गया जो लोक अदालत की भावना के विपरीत है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी गण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं मिला व लोक अदालत में आनन-फानन में निर्णय कर दिया गया। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय और प्राथमिक डिक्री पारित करने में भारी भूल की है। प्रतिवादी गण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया है तथा लोक अदालत की भावना के

सदस्य अपील प्राधिकारी

विपरीत बिना राजीनामा बिना सहमति के निर्णय और प्राथमिक डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

9. उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन के परिणाम स्वरूप अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखंड अधिकारी राशमी द्वारा प्रकरण संख्या 99/2013 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01-07-2015 को अपास्त कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण के समस्त पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 19/05/2023 को सुनाया गया

पत्रावली फेसल शुमार हो।

19/05/2023

(गितेश श्री मालवीय आर.ए.एस.)

राजस्व अपील प्राधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज०)